रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940
No. 375] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर , 2018

एफ. सं. मानक/सहयोज्य-2/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2018.—कतिपय विनियमों में आगे संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, एतद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को जानकारी और सूचना देते हैं कि कथित प्रारूप विनियम पर इस अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात, विचार किया जाएगा।

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषध प्रशासन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं;

आपत्ति और सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—**(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन)**..........** संशोधन विनियम**,** 201**8** है।

   (2) ये विनियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्रि पर निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम**,** 2011 में-

(क) विनियम 2.3 में, उपविनियम 2.3.15 के लिए, खंड 6 के पश्चात, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-
"2.3.15 खाद्य तेल और वसा में सुवास पदार्थों की तरह डाईएसीटाइल के उपयोग पर निर्बंधन।"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./296/18]

नोटः मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गएः–

(i) फा.सं.4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013.

(ii) फा.सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(2)/एफएसएसएआई-2016,दिनांक 23 अगस्त, 2016

(iii) फा.सं. मानक/एफएवंवीपी/अधि. (02)/एफएसएसएआई-2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016 और

(iv)एफ. सं. मानक**/**ओएवंएफ/अधिसूचना(8)**/**एफएसएसएआई**-2017,**दिनांक 31जुलाई, 2018।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2018

F.No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred under section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug AdministrationBhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Amendment Regulations, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, 2011, in regulation 2.3,for sub-regulation 2.3.15, after clause 6, following clause shall be inserted namely: -

   "7. Restriction on the use of diacetyl as flavouring substance in oils and fats."

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./296/18]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

(i) F.No.4/15015/30/2011, dated the 8thFebruary, 2013.

(ii) F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016.

(iii) F.No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016and

(iv)File No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017,dated the 31stJuly, 2018.

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.11 22:23:01 +05'30'